

बोर्ड परिषद समिति और अन्य निकायों का विवरण

वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग के नीति निर्माण, आयोजना और विकास के लिए उत्तरदायी है। अपने इन महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने में मंत्रालय की सहायता विभिन्न बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों द्वारा की जाती है:

- i. राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी)
- ii. केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी)
- iii. केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी)
- iv. अखिल भारत विद्युतकरघा बोर्ड
- v. पटसन सलाहकार बोर्ड
- vi. हस्तशिल्प सलाहकार बोर्ड
- vii. ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड
- viii. ऑल इंडिया हैंडिक्राफ्ट बोर्ड
- ix. कपास सलाहकार बोर्ड
- x. वस्त्र समिति

वस्त्र और अपैरल क्षेत्र के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 निर्यात संवर्धन परिषदें अर्थात् सिले-सिलाए परिधान, कपास, रेशम, पटसन, ऊन, विद्युतकरघा, हथकरघा, हस्तशिल्प और कालीन हैं जो नीचे दिए अनुसार हैं:

- i. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी)
- ii. कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल)
- iii. सिंथैटिक एवं रेयॉन टेक्सटाइल संवर्धन परिषद (एसआरटीईपीसी)
- iv. ऊन एवं ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद (डब्ल्यूएंडडब्ल्यूईपीसी)
- v. ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन संगठन (वूलटेक्सप्रो)
- vi. भारतीय रेशम संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी)
- vii. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी)
- viii. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)
- ix. विद्युतकरघा विकास एवं संवर्धन परिषद (पडेक्सिल)
- x. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)
- xi. पटसन उत्पादन विकास संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी)